रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1603] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2007/पौष 7, 1929
No. 1603] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2007/PAUSA 7, 1929

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2198(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:–

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2007 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में,–

(क) खंड 2 में

(i) उप-खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ग) 'कारखाने' से ऐसा परिसर, जिसके अंतर्गत उसकी सीमाएं भी हैं, अभिप्रेत है, जिसके किसी भाग में निर्वात कड़ाह प्रक्रिया द्वारा चीनी विनिर्मित की जाती है और इसके स्वयं के विकल्प पर या तो गन्ने के रस से या यथास्थिति, सीधे शीरे से, जिसके अंतर्गत, ख-भारी शीरा भी है, या दोनों से, इथेनॉल का विनिर्माण किया जाता है";

(ii) उप-खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ii) 'चीनी के उत्पादक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निर्वात कड़ाह प्रक्रिया द्वारा चीनी और अपने स्वयं के विकल्प पर या तो सीधे गन्ने के रस से या शीरे से जिसके अंतर्गत ख-भारी शीरा भी है या दोनों से इथेनॉल का विनिर्माण करने का कारबार करता है";

(ख) खंड 3 के, उप-खंड (i) के परंतुक के पश्चात् मद (ङ) के स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण (2) - जब कोई चीनी कारखाना गन्ने के रस या ख-भारी शीरे से सीधे इथेनॉल का उत्पादन करता है, तो ऐसे चीनी कारखाने की दशा में वसूली की दर का निर्धारण एक टन चीनी के उत्पादन के रूप में इस प्रकार उत्पादित प्रत्येक 600 लीटर इथेनॉल पर विचार करके किया जाएगा;

स्पष्टीकरण (3) - गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति केवल चीनी कारखानों के मामले में ही दी जाएगी";

(ग) खंड 5 क के उप-खंड (17) में स्पष्टीकरण के अधीन, मद (2) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"(3) 'इथेनॉल या तो गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे या दोनों से सीधे उत्पादित न्यूनतम 99% शक्ति का एनहाइड्रस इथाईल अल्कोहल अभिप्रेत है;

(4) जब कोई चीनी कारखाना गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से सीधे इथेनॉल विनिर्मित करता है, तब गन्ने के रस या ख-भारी शीरे से इस प्रकार सीधे उत्पादित प्रत्येक 600 लीटर इथेनॉल को एक टन चीनी के उत्पादन के समतुल्य माना जाएगा"

(घ) खंड 9 में, उप-खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) चीनी के किसी उत्पादक को, ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, चीनी की प्राप्ति, मौसम की अवधि, विनिर्माण की लागत, चीनी या इथेनॉल के स्टॉक, चीनी या इथेनॉल शीरे प्रेस-मड तथा खोई के लिए वसूल की गई या वसूल की जाने वाली कीमत उत्पाद शुल्क अथवा गन्ना उपकर या क्रय कर के प्रतिदाय या उससे छूट के रूप में या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान या दी गई सहायिकी की रूप में वसूली गई या वसूल की जाने वाली राशि, सहकारी समितियों को संदत्त या संदत्त किए जाने वाला कमीशन, गन्ना विकास की अनुमोदित स्कीमों पर खर्च की गई राशि, चीनी या इथेनॉल के विक्रय पर संदत्त कमीशन, निर्यात हानि, पुनर्स्थापन पर खर्च की गई राशि या किसी विशेष पुनर्स्थापन खाते में आरक्षिती के रूप में अंतरित की गई राशि से संबंधित ऐसी सूचनाएं, विवरणियां या रिपोर्टें, जो विनिर्दिष्ट की जाए, या ऐसी कोई अन्य सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दे सकेगा, जिसकी इस आदेश के प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाए;"

[फा. सं. 3-2/2007-एस.पी.-II]

एन. सान्याल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 1126/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 फरवरी, 1966 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. 35(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 5-6-1967
2. सा.का.नि. 1591(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 17-10-1967
3. सा.का.नि. 945(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 18-5-1968
4. सा.का.नि. 1456(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 2-8-1968
5. सा.का.नि. 620(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 8-4-1970
6. सा.का.नि. 402(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 25-9-1974
7. सा.का.नि. 492(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 12-9-1975
8. सा.का.नि. 542(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 27-10-1975
9. सा.का.नि. 484(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 26-7-1976
10. सा.का.नि. 799(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 13-9-1976
11. सा.का.नि. 815(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24-9-1976
12. सा.का.नि. 913(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9-12-1976
13. सा.का.नि. 62(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 2-2-1978
14. सा.का.नि. 197(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29-3-1978
15. सा.का.नि. 427(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 3-7-1981
16. सा.का.नि. 79(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24-2-1982
17. सा.का.नि. 695(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9-9-1983
18. सा.का.नि. 903(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29-11-2000
19. सा.का.नि. 113(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 20-2-2003
20. सा.का.नि. 204(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 22-3-2004
21. का.आ. 1940(अ) तारीख 10-11-2006
22. का.आ. 1309(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 31-7-2007

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 28th December, 2007

S.O. 2198(E)/Ess.Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central

Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, 2007.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966,

(a) In Clause 2,

(i) for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely:

"(c) 'factory' means any premises including the precincts thereof in any part of which sugar is manufactured by vacuum pan process and at its own option, ethanol either directly from sugarcane juice or from molasses, including B-Heavy molasses, or both, as the case may be, is manufactured" ;

(ii) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:

"(i) 'producer of sugar' means a person carrying on the business of manufacturing sugar by vacuum pan process and at its own option, ethanol either directly from sugarcane juice or from molasses, including B-Heavy molasses, or both" ;

(b) In Clause 3, in sub-clause (1), in item (e) after proviso, the Explanation shall be numbered as Explanation (1) and after Explanation (1) as so numbered, the following Explanations shall be inserted, namely: —

"Explanation (2).—When a sugar factory produces ethanol directly from sugarcane juice or B-Heavy molasses, the recovery rate in case of such sugar factory shall be determined by considering every 600 litres of ethanol so produced as equivalent to one ton of production of sugar;

Explanation (3)—Production of ethanol directly from sugarcane juice shall be allowed in case of sugar factories only" ;

(c) In Clause 5A, in sub-clause (17), under Explanation, after item (2), the following items shall be inserted, namely:—

"(3) 'Ethanol' means anhydrous ethyl alcohol of minimum 99% strength, produced directly either from sugarcane juice or B-Heavy molasses or both;

(4) When a sugar factory manufactures ethanol directly from sugarcane juice or B-Heavy molasses, then every 600 litres of ethanol so produced directly from sugarcane juice or B-Heavy molasses shall be taken as equivalent to one ton production of sugar.";

(d) In Clause 9, for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely:

"(a) direct any producer of sugar to supply, within such period as may be specified, such informations, returns or reports, as may be required relating to the recovery of sugar, duration of season, cost of manufacture, stocks of sugar or ethanol, price realized or to be realized for sugar or ethanol, molasses, press-mud and bagasse, amount realized or to be realized by way of refund of or exemption from excise duty or cane cess or purchase tax or by way of grant or subsidy given by the Central Government or a State Government, commission to cooperative societies paid or to be paid, amount spent on approved schemes of sugarcane development, commission paid on sale of sugar or ethanol, export loss, amount spent on rehabilitation or amount transferred as reserve to a special rehabilitation account, or any other information that may be required for the purpose of this Order;"

[F. No. 3-2/2007-SP. II]

N. SANYAL, Jt. Secy.

Note:—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary under number G.S.R. 1126/Ess.Com./Sugarcane dated 16th July, 1966 and was subsequently amended vide:

1. G.S.R. 35/Ess.Com./Sugarcane dated 5-1-1967
2. G.S.R. 1591/Ess.Com./Sugarcane dated 17-10-1967
3. G.S.R. 945/Ess.Com./Sugarcane dated 18-5-1968
4. G.S.R. 1456/Ess.Com./Sugarcane dated 2-8-1968
5. G.S.R. 620(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 8-4-1970

6. G.S.R. 402(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 25-9-1974

7. G.S.R. 492(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 12-9-1975

8. G.S.R. 542(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 27-10-1975

9. G.S.R. 484(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 26-7-1976

10. G.S.R. 799(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 13-9-1976

11. G.S.R. 815(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 24-9-1976

12. G.S.R. 913(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 9-12-1976

13. G.S.R. 62(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 2-2-1978

14. G.S.R. 197(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 28-3-1978

15. G.S.R. 427(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 3-7-1981

16. G.S.R. 79(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 24-2-1982

17. G.S.R. 695(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 9-9-1983

18. G.S.R. 903(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 29-11-2000

19. G.S.R. 113(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 20-02-2003

20. G.S.R. 204(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 22-03-2004

21. S.O. 1940(E) dated 10-11-2006

22. S.O. 1309(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 31-07-2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.